अमर उजाला

मैदा की जगह लिखना होगा रिफाइंड व्हीट फ्लोर

May 2nd, 2019

मैदा की जगह लिखना होगा रिफाइंड व्हीट फ्लोर

नई दिल्ली। खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पाद पर इस्तेमाल हुए आटे और मैदे को क्रमशः अंग्रेजी में व्हीट फ्लोर और रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार, इस आदेश को पूरा करने की अंतिम तारीख पहले 30 अप्रैल थी, जिसे उद्योग की मांग पर तीन महीने बढ़ा दिया गया है। इससे पहले के आदेश में प्राधिकरण ने व्यापारियों से उत्पाद के लेबल पर आटा को होल व्हीट फ्लोर और मैदा को रिफाइंड व्हीट फ्लोर के रूप में स्पष्ट करने को कहा था।